उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

//विज्ञप्ति//

क्रमांक : 452 /परीक्षा/2020 जबलपुर, दिनाँक– 07/02/2020

म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (M.P.S.L.S.A.), जबलपुर में निज सचिव, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड–3 के नियमित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा वर्ष–2020

ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि :	26/02/2020 (12.00 PM)
आवेदन करने की अंतिम तिथि :	16/03/2020 (11.59 PM)
आवेदन में त्रुटि सुधार प्रारंभ होने की तिथि–	20/03/2020 (12.00 PM)
आवेदन में त्रुटि सुधार होने की अंतिम तिथि–	23/03/2020 (11.59 PM)
ऑनलाईन मुख्य परीक्षा दिनांक :	**बाद में अधिसूचित किया जावेगा**

निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाईन परीक्षा हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं।

खण्ड "अ"

(एक)–नियमित पदों की अनुमानित संख्या :–

क्रमांक	पद का नाम	श्रेणी							कुल पद
		अनारक्षित			अनु0 जनजाति				
		सामान्य	महिला	भूतपूर्व सैनिक	सामान्य	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग (अस्थिबाधित)	
1	निज सचिव		1		-	-	-	-	1
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर		2		1	-	-	-	3
3	सहायक ग्रेड–3		-		7	5	2	1	15

नोट– ट्रॉंसजेंडर अपने संबंधित प्रवर्ग में आवेदन कर सकते है।

(दो)–पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हतायें:–

पदनाम एवं वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता
निज सचिव (42700-135100)	1. अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है। 2. शार्टहैण्ड/टाईपिंग की मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 100 wpm अंग्रेजी शार्टहैण्ड परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 3. कम्प्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना आवश्यक है।
कम्प्यूटर ऑपरेटर (19500-62000)	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0सी0ए0 परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म0प्र0 शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण या म.प्र.एजेन्सी फार प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (MAP-IT) द्वारा आयोजित C.P.C.T. परीक्षा का स्कोर कार्ड धारक जिसने कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी टाईपिंग उत्तीर्ण की हो।

सहायक ग्रेड–3 (19500-62000)	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म0प्र0 शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण या म.प्र.एजेन्सी फार प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी (MAP-IT) द्वारा आयोजित C.P.C.T. परीक्षा का स्कोर कार्ड धारक जिसने कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी टाईपिंग उत्तीर्ण की हो । 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।

(तीन)–संबंधित पदों हेतु टीप :–

(1) उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम अर्हतायें (कम्प्यूटर अर्हता सहित) ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(2) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र. सी–3–11 08/3/एक दिनांक 12.06.2009 तथा परिपत्र क्रं.सी–3–8/2013/1/3 दिनांक–01.07.2013 के प्रकाश में केवल निम्नलिखित संस्थाओं से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मान्य किये जायेगें :–

1. Diploma from all Universities recognized by UGC.
2. Diploma from all Open Universities recognized by UGC.
3. Diploma level examination from DOEACC.
4. M. O. M. Course from Govt. Polytechnic College.
5. Computer Operator & Programming Assistant(COPA) from I.T.I.

विश्वविद्यालय/डोएक से परीक्षा उत्तीर्ण होना तभी माना जावेगा जबकि संबधित विश्वविद्यालय/डोएक से प्रमाण पत्र/अंकसूची जारी की गई हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो केवल बी0ए0, बी0कॉम0 या बी0एस0सी0 में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस लेकर उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें कम्प्यूटर योग्यता हेतु डिग्री धारक के रूप में अर्हताकारी नहीं माना जायेगा। **(जैसा कि माननीय म0प्र0उच्चन्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नं0 1925/2010 (S) जबलपुर–राकेश यादव विरूद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 तथा अन्य आई0एल0आर0 (2011) म0प्र0 1847 (डी0बी0) में अभिनिर्धारित किया गया हैं)**

(चार)–आयु की गणना :–

दिनांक 01.01.2020 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है, अधिकतम आयु सीमा की गणना निम्नानुसार होगी :–

1	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2	पुरूष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	
4	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग–शासकीय/ निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	
5	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	
6	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	

सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति मे किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।